

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,

आवास एवं विकास परिषद,
उ0प्र0 लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,

समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. अध्यक्ष,

समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक : 28 मार्च, 2019

विषय:- भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु निरीक्षण प्रक्रिया एवं चेक लिस्ट में संशोधन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-259/8-3-19-36 विविध/16 टी0सी0 दिनांक 28.02.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु निरीक्षण प्रक्रिया एवं चेक लिस्ट जारी की गई है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश संख्या-259/8-3-19-36 विविध/16 टी0सी0 दिनांक 28.02.2019 द्वारा निर्गत भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु निरीक्षण प्रक्रिया एवं चेक लिस्ट के अन्तर्गत चेक लिस्ट-1 के क्रमांक-16, चेक लिस्ट-2 के क्रमांक-15 एवं चेक लिस्ट-3 के क्रमांक-7 को विलोपित किया जाता है तथा उक्त शासनादेश के शेष प्राविधान यथावत प्रभावी रहेंगे। कृपया उक्त प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- (2) निदेशक (प्रशासन), आवास बन्धु उ0प्र0 लखनऊ।
- (3) निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि समस्त सम्बन्धित को तामील कराते हुए विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- (4) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय कुमार सिंह)
उप सचिव।

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
आवास एवं विकास परिषद,
उ0प्र0 लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
3. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 28 फरवरी, 2019

विषय : भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु निरीक्षण प्रक्रिया एवं चेक लिस्ट उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" के संबंध में BRAP-2019 (Business Reform Action Plan-2019) की अपेक्षाओं के अन्तर्गत आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से सम्बन्धित एक्शन बिन्दु-30 जिसमें भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु समस्त विकास प्राधिकरणों को एक समान निरीक्षण प्रक्रिया एवं चेकलिस्ट बनाये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु निरीक्षण प्रक्रिया एवं चेकलिस्ट संलग्नकर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त में उल्लिखित प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
2. निदेशक(प्रशासन) आवास बन्धु उ0प्र0 लखनऊ।
3. निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि समस्त संबंधित को तामील कराते हुए विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

भवन निर्माण/ले-आउट अनुज्ञा हेतु निरीक्षण प्रक्रिया

भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु मानचित्र स्वीकृत करने के लिए शासनादेश संख्या-1090/8-3-17-36विविध/16, दिनांक 26.09.2017 द्वारा भवन/भूखण्डों का रिस्क आधारित निम्नवत वर्गीकरण किया गया है:-

(अ) **लो-रिस्क श्रेणी**-इस श्रेणी में वह आवासीय भवन/भूखण्ड आते हैं जो आवास एवं विकास परिषद/विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित कालोनियों में हों तथा ऐसे प्रकरण जिनके आवासीय भूखण्ड निजी क्षेत्र के स्वीकृत तलपट मानचित्र के अनुरूप हों अथवा महायोजना में चिन्हित निर्मित क्षेत्र के अन्तर्गत 100 वर्गमीटर तक के आवासीय निर्माण को हाई-रिस्क श्रेणी से बाहर रखा गया है। इस श्रेणी के भवन निर्माण अनुज्ञा/पूर्णता प्रमाण-पत्र हेतु स्थल निरीक्षण की अनिवार्यता नहीं है।

(ब) **हाई-रिस्क श्रेणी**-जो भवन/भूखण्ड लो-रिस्क की श्रेणी में नहीं हैं वे सभी प्रकरण हाई-रिस्क श्रेणी के माने जाएंगे। हाई-रिस्क प्रकरणों में स्थल निरीक्षण की अनिवार्यता आवश्यकतानुसार निर्दिष्ट की जा सकती है।

हाई-रिस्क श्रेणी के भवनों/भूखण्डों के प्रकरण में तीन स्तरीय निरीक्षण कराये जाते हैं जो मानचित्र स्वीकृति के पूर्व, प्लिंथ लेवल निर्माण के बाद तथा पूर्णता प्रमाण-पत्र के समय निर्धारित हैं। इसके अलावा बहुमंजिले भवनों के गुणवत्ता नियंत्रण हेतु निर्माण के दौरान आवश्यकतानुसार निरीक्षण किये जा सकते हैं। तीनों स्तर के निरीक्षण हेतु निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है:-

1. भवन मानचित्र/ले-आउट प्लान स्वीकृति के पूर्व किये जाने वाले निरीक्षण एवं प्रक्रिया:-

शासनादेश संख्या-एम.एस.-35/8-3-16-36विविध/16, दिनांक 02.06.2016 के अन्तर्गत यह निर्देश दिये गये हैं कि मानचित्र स्वीकृति हेतु अन्य विभागों, जिनसे प्राधिकरण द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना है, यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सम्बन्धित विभाग द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किया जाए तथा इसकी सूचना आवेदक को भी दी जाए। उक्त क्रम में निरीक्षण की निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है:-

- आवेदन प्राप्त होने की तिथि को ही सम्बन्धित विभागों को 15वें दिन निरीक्षण किये जाने हेतु तिथि एवं समय निर्धारित करके सूचना प्रेषित की जायेगी।
- निरीक्षण के पश्चात तीन कार्य दिवस में सम्बन्धित विभाग अपनी आख्या/अनापत्ति प्रेषित करेगा।
- आवास एवं विकास परिषद/विकास प्राधिकरण स्तर पर ऐसे स्थलों का निरीक्षण सम्बन्धित अवर/सहायक अभियन्ता द्वारा आवेदन प्राप्त होने के 7 दिन के अन्तर्गत पूर्ण किया जायेगा और निरीक्षण आख्या 48 घण्टे के भीतर विभाग को उपलब्ध कराते हुए वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी।

- निरीक्षण आख्या **चेक लिस्ट-1** अथवा **चेक लिस्ट-2** (यथास्थिति) के अनुसार तैयार किया जायेगा। शिकायत को छोड़ करके अन्य प्रकरण में चेक लिस्ट के बाहर किसी भी बिन्दु पर आख्या नहीं दी जायेगी।

2. प्लिंथ लेवल निरीक्षण:-

हाई-रिस्क श्रेणी के प्रकरण में आवेदक से भवन उपविधि के परिशिष्ट-18 में निर्धारित प्रारूप पर सूचना प्राप्त होने के 7 दिन के भीतर सम्बन्धित अवर/सहायक अभियन्ता द्वारा **चेक लिस्ट-3** में निर्धारित बिन्दुओं पर निरीक्षण करके रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और निरीक्षण के 48 घण्टे के भीतर निरीक्षण रिपोर्ट विभाग की वेबसाईट पर अपलोड किया जाएगा। निरीक्षण रिपोर्ट चेक लिस्ट बिन्दुओं से भिन्न बिन्दुओं पर (शिकायत को छोड़ करके) नहीं प्रस्तुत की जायेगी। किसी विचलन की दशा में तुरन्त परिशिष्ट-19, में निर्धारित प्रारूप पर आवेदक को नोटिस प्रेषित की जाएगी।

3. पूर्णता प्रमाण-पत्र हेतु निरीक्षण:-

आवेदक से पूर्णता प्रमाण-पत्र हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्राप्त होने पर 7 दिन के भीतर सम्बन्धित अवर/सहायक अभियन्ता द्वारा **चेक लिस्ट-4** अथवा **4ख** अथवा **चेक लिस्ट-5** (यथास्थिति) में निर्धारित बिन्दुओं पर निरीक्षण करके रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और निरीक्षण के 48 घण्टे के भीतर निरीक्षण रिपोर्ट विभाग की वेबसाईट पर अपलोड किया जाएगा। निरीक्षण रिपोर्ट चेक लिस्ट बिन्दुओं से भिन्न बिन्दुओं पर (शिकायत को छोड़ करके) नहीं प्रस्तुत की जायेगी। सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के 24 घण्टे के भीतर निर्धारित प्रारूप पर पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।

भवन मानचित्र स्वीकृति के पूर्व निरीक्षण हेतु चेक लिस्ट

आवेदन/मानचित्र संख्या :
आवेदक का नाम :
आवेदक का वर्तमान पता:
आर्किटेक्ट का नाम एवं पंजीकरण सं.
प्रस्तावित भवन की स्थिति	खसरा सं./प्लाट सं.
	ग्राम/योजना का नाम
भूखण्ड का आकार (लम्बाई X चौड़ाई मीटर में)
भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)

क्रमांक	विवरण	निरीक्षण आख्या
1.	मानचित्र पर दर्शित लोकेशन/की-प्लान का स्थल पर मिलान	
2.	रजिस्ट्री के अनुसार भूखण्ड की चौहद्दी का स्थलीय परीक्षण एवं पुष्टि	
3.	महायोजना/जोनल प्लान/ले-आउट प्लान की स्थिति के अनुसार स्थल का भू-उपयोग	
4.	रोड वाइडिंग/ग्रीन बेल्ट हेतु छोड़ी गयी भूमि (जहां लागू हो)	
5.	पहुंच मार्ग की चौड़ाई (मीटर)	
6.	प्रस्तावित भूखण्ड सरकारी चकरोड, नाली व ग्राम समाज, आदि की भूमि से प्रभावित होने की स्थिति	
7.	भूखण्ड की स्थलीय स्थिति के अनुसार किसी सरकारी विभाग की भूमि/भवन से लगे होने संबंधी परीक्षण	
8.	प्रस्तावित भूखण्ड पर अवस्थापना सुविधाओं यथा-जलापूर्ति, ड्रेनेज, मल-निस्तारण, विद्युत-आपूर्ति, आदि की उपलब्धता	
9.	भूखण्ड पर निर्माण की वर्तमान स्थिति (रिक्त अथवा निर्मित), स्थल पर निर्माण विद्यमान होने की स्थिति में निर्माण का स्थल पर मिलान एवं वैधता का परीक्षण	
10.	एच.टी./एल.टी. लाईन की स्थिति	
11.	भूखण्ड के तालाब/जलाशय तथा अन्य वाटर बॉडी से प्रभावित होने की स्थिति	
12.	भूखण्ड के जलभराव/बाढ़ से सुरक्षित होने की स्थिति	
13.	भूखण्ड की संरक्षित स्मारकों/हेरिटेज स्थलों से दूरी (जहां लागू हो)	
14.	भूखण्ड के आस-पास रेलवे लाईन/गैस पाईप लाईन/नहर, आदि की स्थिति	
15.	भूखण्ड पर आवेदक के स्थलीय कब्जा होने का परीक्षण/कब्जा प्रमाण-पत्र	
16.	अन्य विवरण, यदि कोई हो	

दिनांक :

अवर/स./अधि. अभियन्ता

स./मु.न.नियोजक

प्राधिकृत अधिकारी

ले-आउट प्लान की स्वीकृति के पूर्व निरीक्षण हेतु चेक लिस्ट

आवेदन/मानचित्र संख्या :
आवेदक का नाम :
आवेदक का वर्तमान पता:
आर्किटेक्ट का नाम एवं पंजीकरण सं.
प्रस्तावित भूखण्ड की स्थिति	खसरा सं./प्लाट सं.
	ग्राम/योजना का नाम
भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)

क्रमांक	विवरण	निरीक्षण आख्या
1.	मानचित्र पर दर्शित लोकेशन/की-प्लान का स्थल पर मिलान	
2.	रजिस्ट्री के अनुसार भूखण्ड की चौहद्दी का स्थलीय परीक्षण एवं पुष्टि	
3.	महायोजना/जोनल प्लान के अनुसार स्थल का भू-उपयोग	
4.	रोड वाइडिंग/ग्रीन बेल्ट हेतु छोड़ी गयी भूमि (जहां लागू हो)	
5.	पहुंच मार्ग की चौड़ाई (मीटर) एवं मुख्य मार्ग से कनेक्टिविटी	
6.	प्रस्तावित भूखण्ड के अन्तर्गत सरकारी चकरोड, नाली व ग्राम समाज, आदि की भूमि होने की स्थिति	
7.	भूखण्ड की स्थलीय स्थिति के अनुसार किसी सरकारी विभाग की भूमि/भवन से लगे होने संबंधी परीक्षण	
8.	प्रस्तावित भूखण्ड हेतु वाह्य अवस्थापना सुविधाओं यथा-जलापूर्ति, ड्रेनेज, मल-निस्तारण, विद्युत-आपूर्ति, कूड़ा-निस्तारण आदि की उपलब्धता	
9.	स्थल पर निर्माण विद्यमान होने की स्थिति में निर्माण का स्थल पर मिलान एवं वैधता का परीक्षण	
10.	एच.टी./एल.टी. लाईन की स्थिति	
11.	भूखण्ड के तालाब/जलाशय तथा अन्य वाटर बॉडी से प्रभावित होने की स्थिति	
12.	स्थल पर फॉरेस्ट, बाग, आदि होने की स्थिति	
13.	भूखण्ड के जलभराव/बाढ़ से सुरक्षित होने की स्थिति	
14.	भूखण्ड के आस-पास रेलवे लाईन/गैस पाईप लाईन/नहर, आदि की स्थिति	
15.	अन्य विवरण, यदि कोई हो	

दिनांक :

अवर/स./अधि. अभियन्ता	स./मु.न.नियोजक	प्राधिकृत अधिकारी
----------------------	----------------	-------------------

प्लिंथ लेवल निरीक्षण हेतु चेक लिस्ट

आवेदन/मानचित्र संख्या :
आवेदक का नाम :
आवेदक का वर्तमान पता:
आर्किटेक्ट का नाम एवं पंजीकरण सं.
प्रस्तावित भवन की स्थिति	खसरा सं./प्लॉट सं.
	ग्राम/योजना का नाम
भूखण्ड का आकार (लम्बाई x चौड़ाई मीटर में)
भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)
मानचित्र स्वीकृति का परमिट संख्या

क्रमांक	विवरण	टिप्पणी	
		स्वीकृत मानचित्र के अनुसार	मौके के अनुसार
1.	भूखण्ड का आकार (लम्बाई x चौड़ाई मीटर में)		
2.	पहुंच मार्ग की चौड़ाई		
3.	सेटबैक (मीटर)	अग्र	
		पार्श्व-1	
		पार्श्व-2	
		पृष्ठ	
4.	भू-आच्छादन (प्रतिशत)		
5.	बेसमेन्ट (यदि स्वीकृत है):-		
	(i) बेसमेन्ट की संख्या		
	(ii) क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)		
	(iii) रैम्प (चौड़ाई एवं ढाल/ग्रेडिएन्ट)		
	(iv) सीढ़ी	चौड़ाई (मी.)	
		राइजर (मी.)	
		ट्रेड (मी.)	
	(v) भूखण्ड की सीमाओं से बेसमेन्ट की दूरी (मीटर)	अग्र	
पार्श्व-1			
पार्श्व-2			
पृष्ठ			
6.	प्लिंथ की ऊँचाई (सेंटीमीटर)		
7.	अन्य विवरण, यदि कोई हो		

दिनांक :

अवर/स./अधि. अभियन्ता

स./मु.न.नियोजक

प्राधिकृत अधिकारी

आवासीय भवन के पूर्णता प्रमाण-पत्र (300 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड)
के लिए निरीक्षण हेतु चेकलिस्ट

आवेदन/मानचित्र संख्या :
आवेदक का नाम :
आवेदक का वर्तमान पता:
आर्किटेक्ट का नाम एवं पंजीकरण सं.
प्रस्तावित भवन की स्थिति	खसरा सं./प्लॉट सं.
	ग्राम/योजना का नाम
भूखण्ड का आकार (लम्बाई x चौड़ाई मीटर में)
भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)
मानचित्र स्वीकृति का परमिट संख्या
शमन मानचित्र के अनुमोदन की परमिट संख्या तथा तिथि (जहां लागू हो)
शमन शुल्क भुगतान की तिथि/तिथियां/रसीद संख्या/संख्याएं (जहां लागू हो)

क्र. सं.	विवरण	टिप्पणी	
		स्वीकृत/शमन मानचित्र के अनुसार	मौके के अनुसार
1.	पहुँच मार्ग की चौड़ाई (मीटर)		
2.	रोड वाइडनिंग/ग्रीन बेल्ट हेतु छोड़ी गयी भूमि की स्थिति (जहां लागू हो)		
3.	सेट बैक (मीटर में)	(क) अग्र	
		(ख) पार्श्व-1	
		(ग) पार्श्व-2	
		(घ) पृष्ठ	
4.	बेसमेन्ट (यदि स्वीकृत है)		
	(i) बेसमेन्ट की संख्या		
	(ii) क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)		
	(iii) रैम्प (चौड़ाई एवं ढाल/ग्रेडिएन्ट)		
	(iv) सीढ़ी	चौड़ाई (मी.) राइजर (मी.)	

	ट्रेड (मी.)		
(v) भूखण्ड की सीमाओं से बेसमेन्ट की दूरी	अग्र		
	पार्श्व-1		
	पार्श्व-2		
	पृष्ठ		
5.	भू-आच्छादन (प्रतिशत)		
6.	एफ.ए.आर.		
7.	स्टिल्ट फ्लोर की ऊँचाई (यदि स्वीकृत है)		
8.	भवन की ऊँचाई (मीटर में)		
9.	ऑप्टिकल फाइबर हेतु डक्ट का प्राविधान		
10.	पाइपड नेचुरल गैस का प्राविधान (जहां लागू हो)		
11.	अवस्थापना सुविधाएं (हाँ/नहीं में)	(क) जल आपूर्ति	
		(ख) मलोत्सारण	
		(ग) जल निकास	
		(घ) विद्युत आपूर्ति	
		(च) लिफ्ट (यदि कोई हो)	
		(छ) सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र (500 वर्गमी. से अधिक क्षेत्रफल वाले भूखण्डों में)	
12.	टोस अपशिष्ट निस्तारण प्रबन्धन (हाँ/नहीं में)		
13.	पंजीकृत वास्तुविद्/अभियंता का प्रमाण-पत्र (हाँ/नहीं में)		
14.	स्ट्रक्चरल इंजीनियर का प्रमाण पत्र (हाँ/नहीं में)		
15.	रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली (पंजीकृत अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति का प्रमाण-पत्र) (हाँ/नहीं में)		

दिनांक :

अवर/स./अधि. अभियन्ता

स./मु.न.नियोजक

प्राधिकृत अधिकारी

चेकलिस्ट-4 'ख'

ग्रुप हाऊसिंग, व्यवसायिक एवं अन्य बहुखण्डीय भवन के पूर्णता प्रमाण-पत्र के लिए निरीक्षण हेतु चेकलिस्ट

आवेदन/मानचित्र संख्या :
आवेदक का नाम :
आवेदक का वर्तमान पता:
आर्किटेक्ट का नाम एवं पंजीकरण सं.
प्रस्तावित भवन की स्थिति	खसरा सं./प्लॉट सं.
	ग्राम/योजना का नाम
भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)
मानचित्र स्वीकृति का परमिट संख्या
शमन मानचित्र के अनुमोदन की परमिट संख्या तथा तिथि (जहां लागू हो)
शमन शुल्क भुगतान की तिथि/तिथियां/रसीद संख्या/संख्याएं (जहां लागू हो)

क्र. सं.	विवरण	टिप्पणी	
		स्वीकृति/शमन मानचित्र के अनुसार	मौके के अनुसार
1.	पहुँच मार्ग की चौड़ाई (मीटर)		
2.	रोड वाइडनिंग/ग्रीन बेल्ट तथा महायोजना मार्ग हेतु छोड़ी गयी भूमि की स्थिति (जहां लागू हो)		
3.	खुले स्थल, पार्क एवं कीड़ा स्थल का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)		
4.	सेट बैक (मीटर में)	(क) अग्र	
		(ख) पार्श्व-1	
		(ग) पार्श्व-2	
		(घ) पृष्ठ	
5.	बेसमेन्ट (यदि स्वीकृत है)		
	(i) बेसमेन्ट की संख्या		
	(ii) क्षेत्रफल (वर्गमीटर)		
	(iii) रैम्प (चौड़ाई एवं ढाल/ग्रेडिएन्ट)		
	(iv) सीढ़ी	चौड़ाई (मी.) राइजर (मी.) ट्रेड (मी.)	

	(iii) बेसमेन्ट प्लान का स्वीकृत मानचित्र से मिलान		
6.	भू-आच्छादन (प्रतिशत) *		
7.	एफ.ए.आर.		
8.	स्टिल्ट फ्लोर की ऊँचाई (यदि स्वीकृत है)		
9.	कट आउट / डक्ट का आकार (लम्बाई x चौड़ाई मीटर में)		
10.	प्रोजेक्शन्स / छज्जे / बालकनी आदि		
11.	पार्किंग की संख्या एवं क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	(क) खुले क्षेत्र में	
		(ख) कवर्ड पार्किंग	
		(ग) बेसमेन्ट पार्किंग	
12.	भवन की ऊँचाई (मीटर में)		
13.	मंजिलों की संख्या		
14.	सर्विस फ्लोर की संख्या एवं ऊँचाई (जहां लागू हो)		
15.	आवासीय इकाईयों की संख्या (ग्रुप हाउसिंग हेतु)		
16.	लिफ्ट का आकार एवं संख्या		
17.	अग्निशमन की अपेक्षाओं का अनुपालन		
18.	सामुदायिक सुविधाएं यथा—सुविधाजनक दुकानें, स्कूल, नर्सिंग होम, सामुदायिक केन्द्र आदि की स्थिति		
19.	वृक्षारोपण की स्थिति		
20.	ऑप्टिकल फाइबर एवं टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु डक्ट का प्राविधान		
21.	पाइपड नेचुरल गैस का प्राविधान (जहां लागू हो)		
22.	अवस्थापना सुविधाएं (हाँ/नहीं में)	(क) जल आपूर्ति	
		(ख) मलोत्सारण	
		(ग) जल निकास	
		(घ) विद्युत आपूर्ति	
		(छ) सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र (500 वर्गमी. से अधिक क्षेत्रफल वाले भूखण्डों में)	
23.	पर्यावरणीय स्वीकृति (हाँ/नहीं में) जहां लागू हो		
24.	दिव्यांगजन हितैषी प्राविधानों की स्थिति (हाँ/नहीं में)		
25.	ई.सी.बी.सी. कोड के अनुपालन की स्थिति		
26.	वेस्ट वाटर रिसाइक्लिंग सिस्टम, एस.टी.पी. का प्राविधान पूर्ण एवं संचालित अवस्था में (हाँ/नहीं में)		

27.	ठोस अपशिष्ट निस्तारण प्रबन्ध (हाँ/नहीं में)
28.	स्वीकृत/शमनित मानचित्रों के अतिरिक्त निर्माण (हाँ/नहीं में)
29.	पंजीकृत वास्तुविद्/अभियंता का प्रमाण-पत्र (हाँ/नहीं में)
30.	स्ट्रक्चरल इंजीनियर का प्रमाण पत्र (हाँ/नहीं में)
31.	एविएशन क्षेत्र में स्थित होने की दशा में एविएशन लाइट्स की स्थिति (लगी हैं/नहीं लगी हैं)
32.	चीफ इलेक्ट्रिकल इन्सपेक्टर, उ.प्र. से लिफ्ट के पूर्णता का प्रमाण-पत्र (हाँ/नहीं में)
33.	रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली (पंजीकृत अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति का प्रमाण-पत्र) (हाँ/नहीं में)
34.	एयरपोर्ट फनल जोन में स्थित होने की दशा में एयरपोर्ट अथॉर्टी का अनापत्ति प्रमाण-पत्र (हाँ/नहीं में)
35.	अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र (हाँ/नहीं में)
36.	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अनापत्ति प्रमाण-पत्र (हाँ/नहीं में)
37.	ए.एस.आई., का अनापत्ति प्रमाण-पत्र (जहां लागू हो)

दिनांक :

अवर/स./अधि. अभियन्ता

स./मु.न.नियोजक

प्राधिकृत अधिकारी

ले-आउट प्लान के पूर्णता प्रमाण-पत्र के लिए निरीक्षण हेतु चेकलिस्ट

आवेदन/मानचित्र संख्या
आवेदक का नाम
आवेदक का वर्तमान पता
आर्किटेक्ट का नाम एवं पंजीकरण सं.
प्रस्तावित भूखण्ड की स्थिति	खसरा सं./प्लाट सं.
	ग्राम/योजना का नाम
भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)
मानचित्र स्वीकृति का परमिट संख्या
शमन मानचित्र के अनुमोदन की संख्या तथा तिथि (यदि लागू हो)
शमन शुल्क भुगतान की तिथि/तिथियां/रसीद संख्या/संख्याएं (जहाँ लागू हो)

1.	पहुँच मार्ग की चौड़ाई (मीटर)	स्वीकृत मानचित्र के अनुसार					
		मौके के अनुसार					
2.	रोड वाइडनिंग/ग्रीन बेल्ट हेतु छोड़ी गयी भूमि की स्थिति (जहाँ लागू हो)	स्वीकृत मानचित्र के अनुसार					
		मौके के अनुसार					
3.	भू-उपयोग का विवरण :	स्वीकृत मानचित्र के अनुसार					
		मौके पर विकसित					
		स्वीकृत मानचित्र के अनुसार		मौके पर विकसित		विचलन (यदि कोई हो)	
		क्षेत्रफल (व.मी.)	प्रतिशत	क्षेत्रफल (व.मी.)	प्रतिशत	क्षेत्रफल (व.मी.)	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
I	आवासीय						
II	वाणिज्यिक						
III	अन्य						
IV	पार्क एवं खुला स्थान						
V	सड़कें/सर्कुलेशन						

4. सुविधाओं की स्थिति :

क्रमांक	सुविधाएं	स्वीकृत मानचित्र के अनुसार		मौके पर विकसित			
		संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.)	पूर्ण		अपूर्ण	
				संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.)	संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.)
(I)	नर्सरी/प्राइमरी स्कूल						
(II)	हायर सेकेण्डरी स्कूल						
(III)	डिग्री कालेज						
(IV)	डिस्पेन्सरी						
(V)	अस्पताल						
(VI)	पोस्ट आफिस						
(VII)	कम्युनिटी सेन्टर						
(VIII)	पुलिस स्टेशन						
(IX)	फायर स्टेशन						
(X)	टेलीफोन एक्सचेंज						
(XI)	बस स्टेशन						
(XII)	टैक्सी स्टैण्ड						
(XIII)	जन-सुविधाएं						
(XIV)	अन्य सुविधाएं						

5. स्वीकृत/शमनित ले-आउट प्लान के अनुसार विकास कार्यों की स्थिति (हाँ/नहीं में)

- (I) सड़कें
- (II) सड़कों के किनारे वृक्षारोपण (आरबोरीकल्चर)
- (III) पुलिया (कल्वर्ट)
- (IV) मार्ग प्रकाश व्यवस्था
- (V) पेयजल वितरण प्रणाली जिसमें स्लूइस-वाल्व, एयर वाल्व, फायर हाईड्रेंट दर्शाए गए हों तथा भूमिगत जल नलिकाओं का व्यास अंकित हो।
- (VI) ओवर हैड टैंक व भूमिगत जलाशयों की स्थिति एवं उनकी क्षमता, पम्पों की संख्या एवं उनकी क्षमता।
- (VII) सीवर प्रणाली जिसमें पाइप का व्यास, इन्वर्ट लेबल देते हुए मेन होल, गली पिट्स की स्थिति/मल-निस्तारण व्यवस्था।
- (VIII) सीवेज, पम्पिंग स्टेशन की स्थिति, उसकी क्षमता तथा पम्पों की संख्या एवं क्षमता (यदि विकासकर्ता द्वारा उक्त विकास किया गया है)
- (IX) सीवर का अन्तिम निस्तारण-विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद/स्थानीय निकाय आदि की ट्रंक सीवर लाईन में जोड़ने का विवरण। बरसाती पानी के निकास की व्यवस्था।
- (X) वेस्ट वाटर रिसाइक्लिंग सिस्टम, एस.टी.पी. का प्राविधान पूर्ण एवं संचालित अवस्था में (हाँ/नहीं में)
- (XI) ठोस अपशिष्ट निस्तारण प्रबन्धन (हाँ/नहीं में)
- (XII) ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग सिस्टम

	(XIII) बरसाती पानी के निकास की व्यवस्था। (XIV) विद्युत आपूर्ति प्रणाली जिसमें ट्रान्सफार्मर्स तथा 11 के.वी.ए. सब-स्टेशन की स्थिति एवं ट्रान्सफार्मर्स की क्षमता अंकित हो। (XV) ऑप्टिकल फाइबर एवं टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर-हेतु डक्ट का प्राविधान (XVI) पाइपड नेचुरल गैस का प्राविधान (जहाँ लागू हो)	
6.	शहर की अवस्थापना प्रणाली (ट्रंक सेवाओं) से संयोजन की स्थिति/व्यवस्था (हाँ / नहीं में)	
	(I) सड़कें (II) पानी की निकासी (ट्रंक नाले से जोड़ने की व्यवस्था) (III) पेयजल की व्यवस्था (जल संस्थान/विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय आदि से संयोजन की व्यवस्था) (IV) विद्युत व्यवस्था (33 के.वी.ए./ 11 के.वी.ए. लाइन से संयोजन की स्थिति व ट्रान्सफार्मर की स्थिति) (V) ठोस अपशिष्ट निस्तारण व्यवस्था (डम्पिंग ग्राउण्ड/कम्पोस्टिंग, आदि)	
7.	ले-आउट प्लान के साथ स्वीकृत विकास कार्यों के मानक एवं विशिष्टियों में विचलन की स्थिति (हाँ/नहीं में) यदि विचलन है, तो उसका अनुमोदन सम्बन्धित विभाग से प्राप्त किया जा चुका है (प्रमाण पत्र संलग्न करें) अब कोई ऐसा विचलन नहीं है, जो सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत न हो।	
8.	आवेदक का प्रमाण पत्र (हाँ/नहीं में)	
9.	पंजीकृत वास्तुविद्/नगर नियोजक का प्रमाण-पत्र (हाँ/नहीं में)	
10.	रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली (पंजीकृत अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति का प्रमाण-पत्र) (हाँ/नहीं में)	

दिनांक :

अवर/स./अधि. अभियन्ता

स./मु.न.नियोजक

प्राधिकृत अधिकारी